रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

84

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अप्रैल 21—अप्रैल 27, 2013, शनिवार/वैशाख 1—वैशाख 7, 1935
No. 17] NEW DELHI, APRIL 21—APRIL 27, 2013, SATURDAY/VAISAKHA 1—VAISAKHA 7, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
संशोधन

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 93.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, अधिसूचना सं. सा.का.नि 300 दिनांक 12-12-2012 में प्रकाशित सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में स्टोर्स अधिकारी के भर्ती नियम की अनुसूची के कॉलम 7 (i) के अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन करते है :

निम्नलिखित के स्थान पर

कॉलम 7 (i) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समकक्ष"।

ऐसा पढ़ा जाए

"मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि"

[फा. सं. 2/स्था./5/6/ई.सी./2007-पार्ट I]

टी. के. सतपथी, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 97.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, भर्ती नियम, 2006 को जहां तक उसका संबंध सफदरजंग अस्पताल में डिमांस्ट्रेटर (प्रशिक्षण) के पद से है, को उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में डिमांस्ट्रेटर (प्रशिक्षण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली डिमांस्ट्रेटर (प्रशिक्षण) (समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद के लिए लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा श्रेणी वेतन.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इस से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा सचिव (स्वास्थ्य) से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड/श्रेणी वेतन तथा वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिमांस्ट्रेटर (प्रशिक्षण)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	₹ 5200-20200 + श्रेणी वेतन 2800	अचयन पद	18–25 वर्ष **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के मामलें में उच्चतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए लागू विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से चिकित्सा अभिलेख रखरखाव में एक वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम । **वांछनीय :** 1. 40 श.प्र.मि. की गति से टंकण का ज्ञान । 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान के चिकित्सा अभिलेख में अनुभव । 3. किसी मान्यताप्रापत सांख्यिकी संगठन में सांख्यिकीय संयोजन एवं विश्लेषण में अनुभव ।	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होने की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे अधिकारी जो समान पद धारक या समकक्ष पद धारक या जिन्होंने ₹ 5200-20200+ श्रेणी वेतन 2400 वेतनमान वाले पद पर या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है और सीधी भर्ती के लिए विहित योग्यता भी रखते हैं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल स्थाईकरण के लिए) में शामिल हैं : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल —अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल —सदस्य 3. निदेशक प्रशासन या उप निदेशक प्रशासन (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से संबंधित) —सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन) सफदरजंग अस्पताल —सदस्य	लागू नहीं ।

[फा. सं. ए-11011/2/2013-एमएच-I]

एम. एल. सोनी, उप निदेशक, प्रशासन (डी.जी.एच.एस.)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd April, 2013

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, Recruitment Rules, 2006 in so far as it related to the post of Demonstrator (Training) in the Safdarjung Hospital, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Demonstrator (Training) in Safdarjung Hospital, New Delhi namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi Demonstrator (Training) (Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial) Recruitment Rules, 2013.

(2) The shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette;

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Secretary (H) relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band/ Grade Pay and Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Demonstrator (Training)	1	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted), (Non-Ministerial)	Rs.5200—20200+GP 2800	Non- Selection	18—25 Years. **Note 1 :** The Upper age limit is relaxable in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : 1. Degree from a recognised University or equivalent and 2. One year training course in Medical Records keeping from a recognised institution. **Desirable :** 1. Knowledge of typewriting with a speed of 40 w.p.m. 2. Experience in Medical Records in a recognised Institution. 3. Experience in statistical compilation and analysis in recognised statistical organisation.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion, failing which by by direct recruitment.	Offices holding analogous or equivalent posts or posts in the scale of Rs. 5200-20200+GP 2400 or equivalent and having five years regular service in the grade and also possessing the qualifications prescribed for direct recruits.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation only) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital —Chairman 2. Head of Concerned Department, Safdarjung Hospital —Member 3. Director Administration or Deputy Director Administration (Concerned of the Directorate General of Health Services) —Member 4. Deputy Director (Administration) Safdarjang Hospital —Member	Not applicable.

[F. No. A-11011/2/2013-MH-I]
M. L. SONI, Dy. Director, Admn. (D.G.H.S.)